संचिका संख्या–12/प0– विविध–8–28/2010
पत्रांक–1074(12)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सॉवर भारती, (वि0प्र0से0)
प्रशासी पदाधिकारी,
राज्य प0क0 ब्यूरो, स्वास्थ्य विभाग,
विकास भवन, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन/

सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा0 सेवाएं, बिहार

/पटना, दिनांक:– 05/12/012

विषयः–परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में आपको आवंटित वाहन की उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार कहना है कि केन्द्र प्रायोजित परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिलों को पूर्व में वाहनों का आवंटन किया गया था । गत कई बैठकों में भवदीय के द्वारा वर्षो पूर्व आवंटित वाहन रद्दी हालत में होने की सूचना दी गयी थी । कई विभागीय पत्रों के द्वारा ऐसे रद्दीकृत वाहनों की विधिवत निलामी कर राशि कोषागार में जमा कराते हुए प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया था, ताकि इस मद में उपलब्ध राशि से नये वाहन क्रय कर आपके जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रभावशाली अनुश्रवण के लिए उपलब्ध कराया जा सके ।

अधिकांश जिलों में निलामी की कार्रवाई की सूचना प्राप्त नहीं है । कई जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत तत्काल 81 (एक्कासी) वाहन क्रय करने की प्रक्रिया की जा रही है । अतः अनुरोध है कि आपके जिले में परिवार कल्याण के अन्तर्गत वाहन की उपलब्धता/अनुपलब्धता का प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर भेजने का कष्ट करें, ताकि आपको वाहन आवंटन के विन्दू पर निर्णय लिया जा सके । साथ ही यह भी अनुरोध है कि पुराने रद्दीकृत वाहनों की निलामी यदि आपके स्तर पर लंबित है तो उसे पूर्ण कर प्रतिवेदन भेजने की कार्यवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

प्रशासी पदाधिकारी
राज्य प0क0 ब्यूरो, स्वास्थ्य विभाग,
विकास भवन बिहार, पटना